न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—76/2015/223 (2015/00296)

1. सूरजकरण पुत्र सुखदेव,
2. ज्ञानचंद पुत्र रामेश्वर,
3. श्रीमती सीता देवी पुत्री रामेश्वर,
4. श्रीमती कान्ता पुत्री श्रीराम,
5. श्रीमती अक्कू उर्फ रेखा पुत्री श्रीराम,
6. श्रीमती बल्या उर्फ मनभरी पुत्री श्रीराम,
7. श्रीमती कमला पत्नी अमरचंद,
8. राजू पुत्र अमरचंद (फौत) जरिये वारिसानः—
   8/1— श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नि स्व0 राजू,
   8/2— सुनीता पुत्री स्व0 राजू,
   8/3— आरती पुत्री सव0 राजू,
   8/4— पूजा पुत्री स्व0 राजू,
   8/5— मोन्टू पुत्र स्व0 राजू,
9. रणजीत पुत्र अमरचंद,
10. महेन्द्र पुत्र अमरचंद,
11. श्यामलाल पुत्र अमरचंद,
    समस्त जाति रेगर, निवासी खानपुरा, तहसील व जिला अजमेर ।
    समस्त जरिये मुख्तयारआम धमेन्द्र पुत्र रामेश्वर, जाति रेगर, निवासी दूध डेयरी के पास, खानपुरा, तहसील व जिला अजमेर ।
12. धर्मेन्द्र पुत्र रामेश्वर, जाति रेगर, निवासी खानपुरा, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 रतनसिंह,
2. श्रीमती जड़ाव पत्नी स्व0 रतनसिंह,
3. श्रीमती कमला पुत्री स्व0 रतनसिंह,
4. श्रीमती पानी पुत्री स्व90 रतनसिंह,
5. श्रीमती लाली पुत्री स्व0 रतनसिंह,
6. श्रीमती नोरती पुत्री स्व0 रतनसिंह,
7. श्रीमती बसंती पुत्री स्व0 रतनसिंह,
   समस्त जाति रावत, निवासी चादर के पास, खानपुरा, तहसील व जिला अजमेर ।
8. मैनेजर इलाहबाद बैंक, शाखा कचहरी रोड़, अजमेर ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 16.6.1979 अंतर्गत प्रकरण संख्या 5/1979.

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 7.
3. रेस्पो0 संख्या 8 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 9.

निर्णय

दिनांकः— 8.11.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 16.6.1979 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 के अनुसार खाता संख्या 68/72 के वर्किंग खसरा नंबर 41 रकबा 2—9—0 किस्म चाही—1 ग्राम बड़गांव, तहसील व जिला अजमेर में स्थित है, की खातेदार वर्किंग जमाबंदी के अनुसार श्रीमती धूली बेवा सुखदेव, जाति रेगर दर्ज है, कि जिसका स्वर्गवास हो चुका है जिसका एकमात्र वारिस पुत्र रामेश्वर पुत्र सुखदेव का भी स्वर्गवास हो चुका है । इस प्रकार श्रीमती धूली बेवा सुखदेव के वारिसान अपीलांटस ही है तथा वर्किंग खसरा संख्या 41 के वर्तमान खसरा नंबर 92 रकबा 0.37 है0 एवं खसरा नंबर 93 रकबा 0.03 है0 बने है । अपीलाधीन भूमियां अपीलांटस की पुश्तैनी कृषि भूमियां है । अपीलांटस अनुसूचित जाति रेगर जाति के सदस्य है परन्तु अपीलाधीन भूमि को बिना आधार व अधिकार के अधी0न्याया0 के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.6.1979 के अनुसार अपीलाधीन भूमि का अमल दरामद रतनसिंह पुत्र भैरूसिंह, जाति रावत के नाम किये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल तथा राज0काश्त0अधि0 की धारा 42 का उल्लघंन एव अधी0न्याया0 के क्षेत्राधिकार से परे होने से निरस्तनीय है । अपीलाधीन भूमि जिसके वर्किंग खसरा नंबर 41 रकबा 2—9—0 वर्किंग जमाबंदी के अनुसार खातेदार श्रीमती धूली बेवा सुखदेव जाति रेगर के नाम दर्ज है जिसके वारिस अपीलांटस है । अपीलाधीन भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की होने से अधी0न्याया0 द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वे राज0काश्त0अधि0 की धारा 42 का स्पष्टतः उल्लघंन है जबकि इस प्रकार का अपीलाधीन आदेश पारित करने का अधिकार अधी0न्याया0 को नही था । अपीलाधीन भूमि की खातेदार श्रीमती धूली बेवा सुखदेव जाति रेगर थी परन्तु अपीलाधीन भूमि पर रेस्पो0 संख्या 1 से 7 के पति व पिता रतनसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति रावत के द्वारा नाजायज अत्याचार किया जिस पर न्यायालय उप जिला अधिकारी, अजमेर के द्वारा दिनांक 23.1.1978 के अनुसार अपीलाधीन भूमि का कब्जा रामेश्वर पुत्र सुखदेव एवं श्रीमती धूली बेवा सुखदेव, जाति रेगर को संभलाये जाने के आदेश दिये गये थे एवं उसी रोज अपीलाधीन भूमि का रामेश्वर एवं श्रीमती धूली बेवा सुखदेव को संभला दिया गया था, इसके बावजूद अधी0न्याया0 के द्वारा तथाकथित राजीनामा दिनांक 23.1.1979 जो कि विधिविरूद्ध था एवं इस संदर्भ में कोई निर्णय आदेश डिक्री ही पारित नहीं की गई बल्कि राजस्व प्रकरण संख्या 5/79 पर अपीलाधीन आदेश रामेश्वर पुत्र सुखदेव एवं श्रीमती धूली बेवा सुखदेव जाति रेगर को बिना सूचित किये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसका अधी0न्याया0 को क्षेत्राधिकार नही था । तथाकथित राजीनामा विधिविरूद्ध है जिसके आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश भी निरस्तनीय है । बहस में यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 23.11.1978 के विरूद्ध रेस्पो0 के पिता रतनसिंह द्वारा अपील पेश की गई जो भी खारिज हो चुकी है। अपीलाधीन आदेश के आधार पर वर्तमान जमाबंदी में रेस्पो0 संख्या 1 से 7 के नाम गलत इंद्राज किया गया है जो प्रारंभ से शून्य है । अपीलाधीन भूमि पर कब्जा काश्त अपीलांटस का ही चला आ रहा है । अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में अपीलांटस द्वारा राजस्व वाद संख्या 54/2013 उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 से 7 के द्वारा जवाबदावा दिनांक 24.6.2014 को प्रस्तुत किया गया तब अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई । अपीलांटस अनुसूचित जाति के सदस्य है जिनकी आराजियात पर किसी भी स्वर्ण जाति के सदस्य को कोई अधिकार

प्राप्त नहीं होते है । अधी0न्याया0 ने राजीनामे के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलाधीन आदेश की आड़ में वर्तमान जमाबंदी में जो इंद्राज रेस्पो0 संख्या 1 से 7 के नाम किया गया है के स्थान पर अपीलांटस के नाम इंद्राज करवाया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1993 पेज 159, आर0आर0डी0 1979 पेज 207, आर0आर0डी0 1983 पेज 791, आर0आर0डी0 1998 पेज 537, 607, आर0आर0डी0 1995 पेज 156, आर0आर0डी0 2002 पेज 246, आर0आर0टी0 2006 पेज 1056, आर0बी0जे0 2015 पेज 134, आर0आर0डी0 2002 पेज 198, आर0बी0जे0 1998 पेज 370, 1991 पेज 218, आर0बी0जे0 1999 पेज 158 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि वर्किंग खसरा नंबर 41 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा ग्राम बड़गांव तहसील अजमेर की खातेदार श्रीमती धूली बेवा सुखदेव जाति रेगर दर्ज है । श्रीमती धूली का स्वर्गवास हो चुका है, श्रीमती धूली के वारिसान अपीलांटस है । इस कारण अपीलाधीन भूमि में अपीलांटस के विधिक हित निहित है परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा श्रीमती धूली बेवा सुखदेव को एवं रामेश्वर पुत्र सुखदेव को कोई नोटिस ही नहीं दिया गया तथा अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

6. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में अपीलांटस द्वारा राजस्व वाद संख्या 54/2013 अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 से 7 के द्वारा जवाबदावा दिनांक 24.6.2014 को प्रस्तुत किया गया जिस पर अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.6.1979 की जानकारी हुई । इस पर अपीलांटस ने अपीलाधीन आदेश की न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के यहां काफी तलाश की परन्तु अपीलाधीन आदेश की पत्रावली प्राप्त नहीं हुई । इस पर जिला रिकार्ड में भी आदेश की छानबीन की गई जिस पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर दिनांक 9.2.2015 को अपीलाधीन आदेश एवं संपूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग की गई जो दिनांक 11.2.2015 को प्राप्त हुई तद्नूकूल अपीलाधीन भूमि के संबंध में अन्य दस्तवोज एकत्रित किये एवं अधिवक्ता की कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविव है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 7 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात पर सन् 1952–53 से रेस्पो0 लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है । उक्त आराजियात बाबत् वर्तमान अपीलांटस द्वारा जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष दिनांक 23.11.1978 को वर्तमान रेस्पो0 को बेदखल कर कब्जा अपीलांटस को दिलाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को प्रेषित किया गया, तत्पश्चात् वर्तमान अपीलांटस के पूर्वज जिनके साथ स्वंय सूरजकरण वादी संख्या 3 है, के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष राजस्व वाद भी प्रस्तुत किया था जिसमें दिनांक 23.1.1979 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि दोनों पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है । उक्त राजीनामे में यह अंकित किया गया है कि आराजी खसरा नंबर 41 पुराने 38/1 रकबा 2–9–00 विपक्षी के कब्जे में गत 25 वर्षो से चली आ रही है । इस आराजी से प्रार्थीगण/वादीगण का किसी तरह का सरोकार, लेना देना नहीं है । आदेश दिनांक 23.11.1978 को निरस्त कराने में प्रार्थी एवं उसकी माता व अन्य भाईयों को किसी तरह की आपत्ति नहीं है । मौके पर विपक्षीगण की फसल खड़ी है । प्रार्थी रामेश्वर ने गलती से आपसी रंजिश से यह प्रार्थना पत्र दिया है जो अब खारिज करवाना चाहते है और न कभी

भविष्य में ऐसे प्रार्थना पत्र लगायेगें । उक्त राजीनामा प्रस्तुत होने के उपरांत रेस्पो0 के पूर्वज रतनसिंह द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 5/79 दिनांक 6.6.79 को प्रस्तुत किया गया था जिस पर दिनांक 16.6.1979 को आदेश पारित किया गया है । उक्त आदेश की पालना में तत्समय भू–प्रबंध कार्य विचाराधीन होने से परिशोधन संख्या 81 दिनांक 4.10. 1985 को रतनसिंह पुत्र भैरूसिंह रावत के पक्ष में पारित किया गया तत्पश्चात् समस्या समधान शिविर 1998–99 में कैम्प प्रभारी के समक्ष रतनसिंह द्वारा परिशोधन संख्या 81 का अमल दरामद करने हेतु निवेदन किया जिस पर आदेश क्रमांक 9 दिनांक 12.9.1998 को परिशोधन संख्या 81 के अनुसार वर्किंग खसरा नंबर 39 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा रतनसिंह के नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये गये जिसकी पालना में वर्किंग जमाबंदी में अमल दरामद किया गया है एवं रतनसिंह के फौत होने पर नामांतकरण संख्या 453 दिनांक 8.3.2011 को रेस्पो0 संख्या 1 से 7 के नाम दर्ज किया गया है । ऐसी स्थिति में न तो अपीलांटस काबिज है, ना ही बेदखल करवाने के अधिकारी है एव ना ही उनके स्वत्व निहित रहे है जिससे अपीलांटस कतई व्यथित पक्षकार की श्रेणी में न हीं आते है । अपीलांटस द्वारा इजराय आदेश दिनांक 16.6.1979 के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई है अर्थात् मूल आदेश के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है ऐसी स्थिति में इजराय आदेश निरस्त किये जाने के बावजूद भी निर्णय दिनांक 23.1.1979 बहाल रहता है । ऐसी स्थिति में इजराय आदेश के विरूद्ध उक्त अपील धारा 223 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रथमदृष्टया संधारण योग्य नहीं होकर काबिल निरस्तनीय है । ऐसी स्थिति में अपीलांटस व्यथित पक्षकार नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 निरस्त किया जाकर अपील इसी स्तर पर निरस्त की जावे ।

8. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 7 ने धारा 5 मियाद अधि0 पर बहस में कथन किया कि दिनांक 16.6.1979 को इजराय आदेश पारित होने के 35 वर्षो बाद दिनांक 24.6.2014 को वर्तमान रेस्पो0 द्वारा वाद संख्या 54/2013 में जवाबदावा प्रस्तुत करने पर होने का कथन किया है जो असत्य है । अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 23.1.1979 को राजीनामा पेश किया था जिसमें रेस्पो0 के पूर्वज रतनसिंह का 25 वर्ष पूर्व से ही कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है । अर्थात् राज0काश्त0अधि0 1955 दिनांक 15.6. 1958 को प्रभाव में आने से पूर्व ही रेस्पो0 के पूर्वज रतनसिंह का विवादित भूमि पर काबिज काश्त होना सिद्ध है । उक्त आदेश दिनांक 23.1.1979 के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा कोई चाराजोही नहीं की गई है । अपीलाधीन आदेश की अपीलांटस को प्रारंभ से जानकारी थी । इसके बावजूद अपील मियाद बाहर पेश की है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 खारिज कर अपील मियाद बिन्दू पर खारिज की जावे ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 23.1.1979 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया था जिसमें स्वीकार किया है कि विवादित आराजी पर 25 वर्षो से रेस्पो0 के पूर्वज रतनसिंह का कब्जा काश्त है । अर्थात् राज0काश्त0अधि0 1955 दिनांक 15.6.1958 को प्रभाव में आने से पूर्व ही रेस्पो0 के पूर्वज रतनसिंह का विवादित भूमि पर काबिज काश्त होना सिद्ध है । इस कारण धारा 42 राज0काश्त0अधि0 का कोई उल्लघंन उक्त प्रकरण में नहीं हुआ है मात्र जमाबंदी में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को जरिये राजीनामा दुरूस्त किया गया है। विवादित आराजियात पर अपीलांटस का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं आज भी नहीं है । विवादित भूमि का अपीलांटस द्वारा कभी लगान जमा नहीं करवाया गया है । सन् 1998 में रेस्पो0 के नाम अमल दरामद हो चुका था जिससे अपीलांट को बरवक्त निर्णय से ही पूर्ण जानकारी थी । अपीलांटस द्वारा राजीनामा दिनांक 23.1.1979 को कभी भी चुनौती नहीं दी गई है । अपीलांटस के द्वारा राजीनामे मे यह स्वीकार किया गया है कि खसरा संख्या नये 41 पुराने 38/1 रकबा 2–9–00 बीघा पर विपक्षी रेस्पो0 के पूर्वज रतनसिंह पुत्र भैरूसिंह कब्जा 25 सालों से चला आ रहा है और आराजी से प्रार्थीगण का

किसी तरह का सरोकार, लेना–देना नहीं है न ही इस आराजी पर प्रार्थीगण का गत 25 वर्षो से कब्जा काश्त ही रहा है । अपीलांटस की उपरोक्त स्वीकारोक्ति के उपरांत अपीलांटस को वाद प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2005 पेज 735 सुप्रीम कोर्ट, आर0आर0डी0 1999 पेज 389 हाई कोर्ट, आर0बी0जे0 2007 पेज 438 सुप्रीम कोर्ट, आर0आर0डी0 1990 पेज पार्ट–1 पेज 232, आर0आर0डी0 1974 पेज 63 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

10. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

11. अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में कथन किया है कि वर्किंग खसरा नंबर 41 रकबा 2–9–00 बीघा ग्राम बड़गांव तहसील अजमेर अवस्थित आराजी श्रीमती धूली बेवा सुखदेव, जाति रेगर के नाम दर्ज थी । श्रीमती धूली का स्वर्गवास हो चुका है जिसका एक पुत्र रामेश्वर पुत्र सुखदेव था, जिसका भी स्वर्गवास हो चुका है । अपीलांटस श्रीमती धूली बेवा सुखदेव के वारिसान है । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 16.6.1979 द्वारा राजीनामा दिनांक 23.1.1979 के अनुसार विवादित आराजी का अमल दरामद एवं लगान वसूली हेतु तहसीलदार, अजमेर को आदेश पारित किये है । अपीलांटस रेगर जाति के होकर अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा रेस्पो0 रावत जाति के होकर गैर अनुसूचित जाति के सदस्य है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.6.1979 पारित करते समय श्रीमती धूली बेवा सुखदेव, एवं रामेश्वर पुत्र सुखदेव को कोई नोटिस जारी नहीं किये जिससे वे अपना पक्ष अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके थे । चूंकि विवादित भूमि वर्किंग खसरा नंबर श्रीमती धूली बेवा सुखदेव, जाति रेगर के नाम दर्ज थी जो अपीलांटस के पूर्वज है। अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश से विवादित आराजी रेस्पो0 के नाम अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये है जिससे अपीलांटस के हक व अधिकार प्रभावित होना प्रतीत होता है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.6.1979 के विरूद्ध अपीलांटस को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

12. अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में अधी0न्याया0 के आदेश की जानकारी के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है। हम न्यायहित में अपीलांटस को प्रकरण में गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

13. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । जमाबंदी संवत् 2041 के अनुसार खाता संख्या नया 68 वपुराना 72 के खसरा नंबर 41 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि धूली बेवा सुखदेव, कौम रेगर सा0 खानुपरा खातेदार दर्ज है । प्रार्थी सूरजकरण ने दिनांक 23.11.1978 को वादग्रस्त भूमि का कब्जा दिलवाये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । तत्पश्चात् दिनांक 23.1.1979 को वादीगण ने उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 23.11.1978 को निरस्त कराने का निवेदन किया जिस पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 16.6.1979 को आदेश पारित कर मुताबिक राजीनामा दिनांक 23.1.1979 के वास्ते अमल दरामद एवं लगान वसूली हेतु तहसीलदार, अजमेर को निर्देश दिये । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि विवादित वर्किंग खसरा नंबर 41 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि के खातेदार श्रीमती धूली बेवा सुखदेव जाति रेगर के नाम दर्ज थी । अधी0न्याया0 उप जिलाधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 16.6.1979 के अनुसरण में विवादित आराजी मु0 धूली के बजाय रतनसिंह के नाम अंकन स्वीकार किया गया है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस के पूर्वज द्वारा बेदखली का दावा पेश किया गया था । ऐसी स्थिति में राजीनामा दिनांक 23.1.1979 के आधार पर ज्यादा से ज्यादा बेदखली का दावा खारिज किया जा सकता था किन्तु इसके

बावजूद अधी0न्याया0 ने राजीनामा के आधार पर मु0 धूली बेवा सुखदेव कौम रेगर जो कि अनुसूचित जाति की सदस्या है, की आराजी को निर्णय दिनांक 16.6.1979 द्वारा गैर अनुसूचित जाति के सदस्य रेस्पो0 रतनसिंह के नाम अमल दरामद करने के आदेश पारित किये है जो स्पष्टतया धारा 42 राज0काश्त0अधि0 1955 का उल्लघंन है । धारा 42 के अनुसार अनुसूचित जाति के सदस्य की आराजी गैर अनुसूचित जाति के सदस्य के नाम दर्ज नहीं की जा सकती है चाहे राजीनामा भी क्यों नहीं किया गया हो । विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टांत आर0आर0डी0 1983 पेज 159 का ससम्मान अवलोकन किया जिसमें यह अवधारित किया गया है कि " Raj. Tenancy Act, sec 42- Word transfer used in proviso to sec 42 should be treated as compreshensive and if agrl. land in khatedari of S.C. or S.T., by compromise decree, declared of no.S.C. or non S.T., then also it would come within mischief of prohibited transfer u/s 42- Even contested decree resulting in transfer would be covered by sec 42. " उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अनुसूचति जाति के सदस्य की आराजी गैर अनुसूचित जाति के सदस्य के नाम दर्ज नहीं की जा सकती है चाहे राजीनामे के आधार पर भी डिक्री पारित की गई हो । हस्तगत प्रकरण में भी विवादित आराजी अनुसूचित जाति के सदस्य की थी जिसे राजीनामे के आधार पर उप जिलाधिकारी, अजमेर ने निर्णय दिनांक 16.6.1979 द्वारा रेस्पो0 रतनसिंह जो कि जाति से रावत होकर गैर अनुसूचित जाति का सदस्य है, के नाम अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार, अजमेर को दिये है जो स्पष्टतया धारा 42 राज0काश्त0अधि0 1955 का उल्लघंन होकर विधिविरूद्ध आदेश है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.6.1979 निरस्त योग्य पाया जाता है ।

14. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है । विद्वान उप जिलाधिकारी, अजमेर द्वारा वाद संख्या 5/79 में पारित निर्णय दिनांक 16.6.1979 निरस्त किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मैघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

15. निर्णय आज दिनांक 8.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मैघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर